झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1273 वर्ष 2017

राजीव कुमार, पे0 जगनाथ प्रसाद, निवासी ग्राम–खिजरीपुरा, डाकघर–नया गांव, थाना–केसरिया, जिला–पूर्वी चम्पारण, बिहार .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. भारत सरकार अपने सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, जिसका कार्यालय केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, डाकघर एवं थाना–केंद्रीय सचिवालय, जिला–नई दिल्ली में है, के माध्यम से।

2. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अपने महानिदेशक के माध्यम से जिनका कार्यालय सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, डाकघर एवं थाना–लोधी रोड, जिला–नई दिल्ली में है।

3. समीक्षा चिकित्सा बोर्ड, 40वीं बटालियन, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, सुकुरहुत्तु शिविर, डाकघर एवं थाना–कांके, जिला–रांची।

4. कर्मचारी चयन आयोग, अपने अध्यक्ष के माध्यम से जिनका कार्यालय ब्लॉक 12, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, डाकघर एवं थाना–लोधी रोड, जिला–नई दिल्ली में है।

5. क्षेत्रीय निदेशक (मध्य क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग जिनका कार्यालय 21–23, लोथर रोड, डाकघर एवं थाना–लोथर रोड, जिला–इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अभय प्रकाश, अधिवक्ता

भारत सरकार के लिए:– श्री राजीव सिन्हा, ए0एस0जी0आई0

04 / 22.03.2017 याचिकाकर्ता दिनांक 03.09.2016 की समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के आधार पर कांस्टेबल (जीडी) के पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति से व्यथित है।

2. याचिकाकर्ता का दावा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 24 जनवरी, 2015 को जारी एक विज्ञापन के आलोक में, उसने कांस्टेबल (जीडी) के पद पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। जब वह शारीरिक परीक्षण में पात्र पाया गया और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, तो उसे चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया। मेडिकल जांच के दौरान उन्हें लेफ्ट टेस्टिकुलर एट्रोफी से पीड़ित पाया गया। उन्हें चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होनें चिकित्सा अधिकारी, शल्य चिकित्सा विभाग, कलकत्ताा से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपील दायर किया और 03.09.2016 को रिव्यू मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए। एक बार फिर, उन्हें उसी बीमारी से पीड़ित पाया गया और तद्नुसार, उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया। अब, मेडिकल कॉलेज, कोलकाता के शल्य चिकित्सा विभाग के चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणन के आधार पर वह कांस्टेबल (जीडी) के पद पर नियुक्ति चाहते हैं।

3. जहां तक किसी कर्मचारी की चिकित्सा फिटनेस के मानक का संबंध है, निर्णय नियोक्ता पर निर्भर होना चाहिए। सशस्त्र बलों में सामान्य शारीरिक मानकों से थोड़ा अलग उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और इसके लिए दिनांक 20.05.2015 के कार्यालय ज्ञापन

के तहत एक विस्तृत प्रक्रिया जारी की गई है। दिनांक 20.05.2015 की कार्यालय ज्ञापांक की प्रति को रिट याचिका संख्या 1018/2017 के रिकॉर्ड पर लिया गया है, जिस पर इस रिट याचिका के साथ सुनवाई की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा अभिवाक नहीं लिया गया है कि समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के दौरान उसकी शारीरिक/नैदानिक रूप से जांच नहीं की गई थी। अब, यदि नैदानिक परीक्षण पर एक उम्मीदवार के लेफ्ट टेस्टिकुलर एट्रोफी से पीड़ित पाया गया है, तो अदालतें तथ्य के ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। याचिकाकर्ता तीसरी चिकित्सा जांच के लिए एक मामला बनाने में विफल रहा है।

4. रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाते हुए इस खारिज किया जाता है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)